न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 87/2009 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामदयाल पुत्र बोदनराम जाति जाटव निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर।
..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 कान्हा – मृतक
   1/1. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल,
   1/2. टोंटा पुत्र श्री रामजीलाल निवासीयान ग्राम हल्दीना तहसील व जिला अलवर
2. अर्जुन पुत्र स्व0 कान्हा – मृतक
   2/1. बणिया पुत्र स्व0 अर्जुन,
   2/2. श्रीमती कलावती पत्नि अर्जुन जाति कोली निवासीयान ग्राम हल्दीना तहसील व जिला अलवर ।
3. छोटा पुत्र स्व0 कान्हा जाति कोली निवासी ग्राम हल्दीना तहसील व जिला अलवर।
..... प्रतिवादीगण/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री शैलेन्द्र भार्गव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जनकसिंह, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.08.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए. व 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 261 रकबा 11 बीघा बंजड़ प्रथम सिचायचक लगानी वाके ग्राम हल्दीना थी । उक्त आराजी साबिक ख0 नं0 261 रकबा 11 बीघा बंजड़ लगानी में से 261/2 रकबा 4 बीघा आराजी रामजीलाल पुत्र कान्हा जाति कोली को आवंटन की गई व इन्तकाल नं0 936 आराजी ख0 नं0 261/2 रकबा 4 बीघा की खातेदारी दी गई । उक्त आराजी में से 3 बीघा आराजी कान्हा पुत्र गोपाल जाति कोली को आवंटन की गई व वह उक्त आराजी को रेकार्ड

 2318

खातेदार दर्ज किया गया । कान्हा पुत्र गोपाल का स्वर्गवास हो गया व मुदायला रामजीलाल अर्जुन व छोटा उसके पुत्रान है । रामजीलाल पुत्र कान्हा (काला) जाति कोली निवासी हल्दीना ने आराजी ख0 नं0 261/2 रकबा 4 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादी रामदयाल पुत्र बोदन जाति चमार को विक्रय कर दिया व कब्जा मौके पर दे दिया । सैटलमेन्ट विभाग द्वारा रामदयाल का खाता अलग कायम कर उसके 4 बीघा रकबे के साबिक ख0 नं0 261/2 रकबा 4 बीघा हाल ख0 नं0 544 रकबा 0.15, 545 रकबा 0.13 ऐयर, 582 रकबा 0.10 ऐयर, 584 रकबा 0.10, 585 रकबा 0.20, 586 रकबा 0.33 गलत तरीके पर खिलाफ मौका दर्ज किये गये हैं । कान्हा मृतक के वारिसान खाता अलग कायम किया गया व उसके 3 बीघा रकबे के साबिक ख0 नं0 261 मिन रकबा 3 बीघा हाल ख0 नं0 546 रकबा 0.05 ऐयर, 547 रकबा 0.70 ऐयर गलत तरीके पर खिलाफ मौका दर्ज किये गये हैं एवं वादी रामदयाल का साबिक ख0 नं0 261/2 रकबा 4 बीघा हाल ख0 नं0 544 रकबा 0.03 ऐयर, 545 रकबा 0.13 ऐयर, 546 रकबा 0.05 ऐयर, 547 रकबा 0.70 ऐयर, 582 रकबा 0.10 ऐयर रकबे पर कब्जा है जिस अनुसार ही उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था व मौके का मुताबिक कान्हा मृतक के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 ल. 3 का साबिक ख0 नं0 261 मिन रकबा 3 बीघा हाल ख0 नं0 544 रकबा 0.12 ऐयर, 584 रकबा 0.10 ऐयर, 585 रकबा 0.20 ऐयर, 586 रकबा 0.33 ऐयर रकबे पर कब्जा है जिस अनुसार ही उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए । सैटलमेन्ट विभाग ने उक्त गलत इन्द्राज सम्वत् 2051 ल0 2070 की मिसल हकीयत व जमाबन्दी में कर देने से वादी के हकूकों पर भारी कुठाराघात होता है । प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादी के नवीन ख0 नं0 547 रकबा 0.70 ऐयर व 546 रकबा 0.05 ऐयर पर सैटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत इन्द्राज कर देने के आधार पर जबरन करना कब्जा चाहते हैं । अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी जरिये रहन, बय हिबे से किसी दीगर व्यक्ति को मुन्तकिल न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 29.06.2009 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 29.06.2009 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करंते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी /अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को कन्सीडर नहीं किया जबकि वादी/अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सैटलमेन्ट सम्वत् 2051 से पूर्व का राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया था । वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद के समर्थन में नक्शा ट्रेस सम्वत् 2051 से 2070 ग्राम हन्दीना की प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी जिससे वादी/अपीलांट का वाद साबित था । सैटलमेन्ट विभाग को पूर्व प्रविष्ठियों को रिपीट करना चाहिए था तथा सैटलमेन्ट विभाग को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना आधार के इन्द्राज में परिवर्तन करें । वादी/अपीलांट द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2045 ल0 2048 तथा सम्वत् 2051 ल0 2070 व पर्चा मौका पैमाईश ग्राम हल्दीना दि0 17.11.1994 प्रस्तुत

किया गया था परन्तु तहत न्यायालय द्वारा उक्त किसी भी रेकार्ड को अपने निर्णय में डिस्कस नहीं किया ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद का कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया । इस वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकीयात कायम नहीं की गई । जब वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के आधार पर वाद का निर्णय करना चाहिए था । वादी द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये वे पब्लिक रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि थी व उनका पेश होना ही साबित करता है जैसाकि ऐवीडेन्स एक्ट की धारा 79 व 80 में प्रावधान किया गया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में 2012 आर.आर.टी. पेज 1395, 2001 आर.बी.जे. पेज 170 व 2015 आर.आर.टी. पेज 1214 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब बहस में बताया कि वादी/अपीलांट ने सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वह आवश्यक पक्षकार थी । विवादित आराजी पर अपीलांट ने बाद में कब्जा लिया है । सम्वत् 2020 के इन्द्राजों का इनसे क्या संबंध है । जब मौके पर अपीलांट काबिज ही नहीं है तो उसने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है । तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने की इस्तदुआ की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं तहत पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उपलब्ध रेकार्ड का भी अवलोकन किया । बहस पर मनन किया तथा कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद साक्ष्य पेश नहीं करने तथा पेश दस्तावेजों को सत्यापित नहीं कराने के अभाव में खारिज किया है ।

अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि रेस्पो0 द्वारा जवाब नहीं देने पर साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होना बताया तथा वाद के कोन्टेस्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री चाहा गया है ।

हमने उपरोक्त तर्को पर विवेचन किया तथा रेस्पो0 द्वारा जवाब पेश नहीं करने के बिन्दू पर भी गौर किया ।

अपील प्रकरण में न्यायालय का कानूनी मत है कि वादी/अपीलांट का विवाद साबिक व हाल नक्शें में गलत नम्बर अंकन को लेकर है । साक्ष्य भी पेश नहीं है । वादी द्वारा तहत न्यायालय में कई अवसर देने पर भी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे दस्तावेज प्रमाणित नहीं हो सकें तथा बयानों के अभाव में यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वादी/अपीलांट वर्तमान में कहा पर काबिज है तथा मूल आवंटी कहा पर काबिज है । अतः प्रकरण के निस्तारण के लिए साक्ष्य व मौका कब्जा रिपोर्ट की भी आवश्यकता है जो तहत न्यायालय में पेश नहीं हो पाया हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2009 निरस्त की जाती है तथा

प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहत न्यायालय अपीलांट/वादी से साक्ष्य लें तथा आवश्यक होने पर मौका रिपोर्ट प्राप्त करके साबिक व हाल दस्तावेजात एवं संलग्न बयनामा के आधार पर पुनः सुनवाई करके गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर